SPECIAL LECTURE

Special Lecture: A special Web Lecture lecture was organised by the cell on **Women and Legal Rights.** The speaker was Samina Fatima, Legal Advisor and Contract Specialist on 15th February 2022. 75 students participated.

کریم سٹی کالج میں خواتین کے
قانونی حقوق پرآن لائن گفتگو

جمشید پور(شاکر عظیم آبادی) خواتین اور قانونی حقوق پر ایک آن لائن گفتگو کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان مقررین مس سمینا فاطمہ، سینیر قانونی ماہر تھیں۔ اجلاس کی نظامت خاتون شعبہ کی رکن ڈاکٹر بسوندھرا رائے نے کی۔ جبکہ ڈاکٹر قیصر تسنیم نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ مقررین نے خواتین کے حقوق اور قانونی نقطے پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ جہیز، گھریلو تشدد، مار پیٹ، سائبر کرائم، جسمانی استحصال سے متعلق کھل کر گفتگو ہوئی۔

करीम सिटी कालेज में आनलाइन मीट

महिलाओं को नहीं है कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी

जमशेदपुर. करीम सिटी कॉलेज के महिला प्रकोष्ठ की ओर से मंगलवार को महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर एक ऑनलाइन वार्ता आयोजित की गयी. अतिथि वक्ता वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ समीना फातिमा ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया. दहेज, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, मारपीट, पीछा करना, साइबर अपराध, यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में महिलाओं से जुड़ी कानूनी जानकारी दी. व्याख्यान का उद्देश्य भारत में महिलाओं को प्रदान किये गये कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना था. सत्र का संचालन महिला प्रकोष्ठ की सदस्य डॉ बसुधारा राय ने किया. समन्वयक डॉ कौसर तसनीम ने अतिथि का स्वागत किया. इस व्याख्यान से 85 विद्यार्थी लाभान्वित हुए.

प्रभात खबर Wed, 16 February 2022 https://epaper.prabhatkhabar.com/c/66288

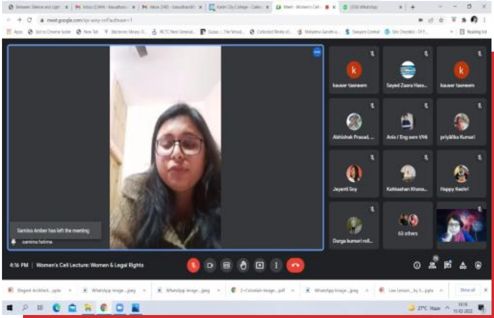

महिलाओं के कानूनी अधिकार पर करीम सिटी कॉलेज में हुआ ऑनलाइन वार्ता

प्रभात मंत्र संवाददाता

जमशेदपुर : मंगलवार को महिला प्रकोष्ठ ने महिलाओं और कानूनी अधिकारों पर एक ऑनलाइन वार्ता का आयोजन किया। अतिथि वक्ता मिस समीना फातिमा, वरिष्ठ कानूनी अनुबंध विशेषज्ञ थीं। सत्र का संचालन महिला प्रकोष्ठ की सदस्य डॉ बसुधारा राय ने किया। महिला प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ कौसर तसनीम ने अतिथि का स्वागत किया। व्याख्यान में महिलाओं के अधिकारों और कानूनी कृत्यों की विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। दहेज, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, मारपीट, पीछा करना, साइबर अपराध, यौन उत्पीड़न से संबंधित कृत्यों के बारे में बताया गया। व्याख्यान का उद्देश्य भारत में महिलाओं को प्रदान किए गए कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। स्पीकर ने कहा कि कानून न्याय और मानव व्यवहार की समझ के बारे में है और यह कि पुरुष और महिला सभी पहलुओं में समान हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। व्याख्यान में 85 विद्यार्थी शामिल हुए।